ANNEXURE No -

संख्या–761 / 15–7–09–16(32) / 2009

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2009

विषय :– वृज विहारी सहाय विद्या मंदिर,कादिलपुर,इलाहाबाद को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है,तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

––2––

N.O.C

(7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।
(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
(9) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2– उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या–761(1)/15–7–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शिक्षा निदेशक(मा0),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
4– निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0,लखनऊ।
5– प्रबंधक, वृज विहारी सहाय विद्या मंदिर,कादिलपुर,इलाहाबाद।
6– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

N.O.C

Form No:3534

Office of the District Basic Education Officer

PRAYAGRAJ

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **BRIJ BEHARI SAHAI VIDYA MANDIR,KADILPUR, P.O. KATHGAON PRAYAGRAJ** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to BRIJ BEHARI SAHAI VIDYA MANDIR is **PRA094555665.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	14-08-2023(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	PRA094555665

DATE:- 14-08-2023

PLACE:- PRAYAGRAJ

District Basic Education Officer

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR TIWARI
Date: 2023.08.14 21:31:40
Reason: For Digital Signature
Location: PRAYAGRAJ

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib